

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद

शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र

प्रीतबिहार- नई दिल्ली।

पत्रांक: सी0बी0एस0ई0 /

/20-21

दिनांक: 20-10-20

विषय:- Sahaj Public School, Dayal Puri Samauli, Budhana Road Khatauli, Muzuffarnagar को सी0 बी0 एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-(299)/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति द्वारा "Sahaj Public School, Dayal Puri Samauli, Budhana Road Khatauli, Muzuffarnagar" को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- 1-विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2-विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- 3-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4-संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5-संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6-कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8-विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9-संस्था को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के संबंध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



- 10-सोसायटी के बार्डलॉज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति / शासन के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 11-विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा, शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र अमान्य होगा।
- 12-अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का पालन करते हुए सम्बन्धित विभाग से प्रत्येक वर्ष जांच / निरीक्षण कराया जायेगा और यथानियम प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 13-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1) (ग) के अन्तर्गत विद्यालय में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

भवदीय

(आर० पी० शर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति

पृ० सं० / सी० बी० एस० ई० / 3563-70 / 20-21

दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त (अध्यक्ष-मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये निर्णय के अनुपालन में।
- 2-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी (सदस्य, मण्डलीय समिति) मुजफ्फरनगर।
- 4-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य- मण्डलीय समिति) मुजफ्फरनगर।
- 6-प्रबन्धक, Sahaj Public School, Dayal Puri Samauli, Budhana Road Khatauli, Muzaffarnagar .
- 7-निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ० प्र०, लखनऊ।
- 8-गार्ड फाईल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति